न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 109/2015 G.C.M.S. No. 2015/00234 दर्ज दिनांक : 22.12.2015

अपीलार्थिगण:

1. सूरजाराम पुत्र दुर्गाराम उम्र 61 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी कलाली, तहसील रोहट, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 31/2014 बअनवान सुरजाराम बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2015 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित–

1. श्री श्रवणसिंह चौहान, श्री अंबरिशकुमार शर्मा, श्री रमेश मेवाड़ा विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 28.02.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 31/2014 बअनवान सुरजाराम बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलाण्ट ने राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट जिला पाली के विरूद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 (ए), 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 एल.आर. एक्ट के तहत् प्रस्तुत कर अपीलाण्ट के कलाली स्थित खसरा नम्बर 404/2015 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि कि रेवेन्यू रेकर्ड में नाम दुरस्ती करा कर खातेदारी की घोषणा का दावा प्रस्तुत किया था। जिस पर रेस्पोंडेन्ट को नोटिस जारी कर तामील होने के बाद पत्रावली प्रतिवादी रेस्पोंडेन्ट के जवाब हेतु प्रक्रिया में थीं तथा दिनांक 03.06.2015 को कैम्प कोर्ट में उक्त प्रकरण श्रीमान् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी रोहट द्वारा सुनवाई हेतु रखा गया, जिसकी अपीलाण्ट को सूचना नहीं दी गई। अपीलाण्ट अपने प्रकरण को कैम्प कोर्ट में नहीं निपटाना चाहता था, परन्तु पीठासीन अधिकारी ने अपीलाण्ट के हस्ताक्षर कर अपीलाण्ट को भेज दिया तथा दिनांक 03.06.2015 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर वादी का वाद बिना किसी आधार के खारिज कर दिया। जोकि विधिविरूद्ध है। अपीलाधीन

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2015 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल एवं विधि की अवहेलना पूर्वक पारित किया, जो अपास्त किए जाने योग्य है। अपीलाण्ट का वाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी रेस्पोंडेन्ट के जवाब के प्रक्रम पर चल रहा था तथा रेस्पोंडेन्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही तनकीयात कायम की गई तथा न ही अपीलाण्ट को अपना वाद साबित करने के लिये साक्ष्य के अनुसार प्रदान किया गया तथा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही वाद की प्रक्रिया का पालन न करते हुए विधि के सिद्धांतों व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध उक्त निर्णय पारित किया है। उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जो अपीलाण्ट के वाद में दिया गया है, वह विधि के प्रतिकूल है। उक्त वाद खातेदारी घोषणा का राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती का है, जो साक्ष्य द्वारा ही निर्णित किया जा सकता है। दिनांक 03.06.2015 को न तो कोई साक्ष्य उपलब्ध था और न ही अपीलाण्ट के बयान लिये गये और न ही उस दिन सूरजाराम नाम का कोई अन्य व्यक्ति मौजूद था और न ही रेस्पोंडेन्ट द्वारा सूरजाराम के दावे पर कोई आपत्ति की गई तथा न ही रेस्पोंडेन्ट द्वारा सूरजाराम नाम का कोई अन्य व्यक्ति श्रीमान् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ, जिससे उक्त प्रकरण में अपीलाधीन आदेश विधि के सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त की जाने योग्य है। अपीलाण्ट अनपढ़ व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को कैम्प कोर्ट बाबत् कोई नोटिस नहीं दिया गया। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में गया, तब अपीलाण्ट को जानकारी हुई कि आज उसकी पत्रावली कोर्ट कैम्प में रखी हैं, तब अपीलाण्ट कैम्प कोर्ट में गया। तब पीठासीन अधिकारी ने अपीलाण्ट के हस्ताक्षर करवाकर अपीलाण्ट को भेज दिया तथा अपीलाण्ट के वाद के संबंध में कोई पूछताछ नहीं की तथा पीठासीन अधिकारी ने विधि के प्रतिकूल अपीलाधीन आदेश पारित किया, जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत वाद राजस्व रेकर्ड दुरूस्ती व खातेदारी घोषणा बाबत् था। जिसमें केवल वादग्रस्त कृषि भूमि अपीलाण्ट को ही आवंटित की गई थीं। परन्तु राजस्व रेकर्ड में गलत नाम चढ़ जाने से अपीलाण्ट द्वारा राजस्व रेकर्ड की दुरूस्ती एवं अपीलाण्ट को अपने हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने का दावा था, जो रेस्पोंडेन्ट के जवाब के प्रक्रम में चल रहा था। उक्त वाद का निस्तारण साक्ष्य से ही किया जा सकता था, परन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के गवाहों की साक्ष्य लिये बिना ही विधि के प्रतिकूल मामले का निस्तारण कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है, जिससे अपीलाण्ट के साथ अन्याय हुआ है। वाद की प्लीडिंग्स व दस्तावेजात के अनुसार वाद डिक्री होने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई खण्डनात्मक साक्ष्य नहीं थी कि अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाता। रिबटल ऐवीडेन्स का अभाव होते हुए भी

Scanned with OKEN Scanner

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी, जो विधि व तथ्य की भूल हैं। अपीलाधीन कृषि भूमि में अपीलाण्ट का शांतिपूर्वक लगातार कब्जा चला आ रहा है, जो निर्विवाद है। अपीलाण्ट इस कृषि भूमि का काश्तकार हैं, खातेदार हैं व अपीलाण्ट के खातेदारी अधिकार कन्फर्म हो चुके हैं। इस बाबत् साक्ष्य पत्रावली (वाद) पर मौजूद थें। इस कारण वाद डिक्री किया जाना चाहिये था। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। क्योंकि अपीलाण्ट के वाद में अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर देकर अपीलाण्ट व अपीलाण्ट की तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत करने पर उक्त साक्ष्य के आधार पर विनिश्चय करते हुए मामले का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना आवश्यक था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये विधि के प्रतिकूल अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया, जो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय को अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2015 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 11.09.2015 को प्रस्तुत की। विलंबकाल माफ करने के लिए अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह निवेदन किया है कि अपीलाधीन निर्णय कैम्प कोर्ट में पारित किया गया है। जिसकी अपीलांट को जानकारी नहीं दी गई। अपीलांट की उपस्थिति के हस्ताक्षर अवश्य करवाए, लेकिन निर्णय अपीलांट की अनुपस्थिति में नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा दिनांक 01.09.2015 को नकल हेतु आवेदन करने पर दिनांक 02.09.2015 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ कर अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय कैम्प कोर्ट में किया गया है तथा निर्णय की नकल दिनांक 02.09.2015 को जारी होना पुश्त पर अंकित है, साथ ही विलंबकाल दीर्घ विलंब नहीं हैं तथा हमारे विनम्र मत में प्रकरण का निर्णय कठोर तकनीकी आधार पर करने के बजाय गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। अतः विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

Scanned with OKEN Scanner

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 92ए व 188 व सपठित धारा 136 एल.आर एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत किया। जिसमें प्रतिवादी तहसीलदार का जवाब दिनांक 03.06.2015 को प्राप्त हुआ तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विवाद्यक विरचित किए बिना एवं उभयपक्षकारान की साक्ष्य लिए बिना दिनांक 03.06.2015 को ही कैम्प कोर्ट में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा अपीलांट का वादपत्र खारिज कर दिया गया। यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 03.06.2015 को पत्रावली प्रतिवादी के जवाब में नियत थीं। प्रतिवादी द्वारा वादपत्र खारिज करने के लिए आदेश 7 नियम 11 या अन्य किसी भी विधिक प्रावधानों में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विवाद्यक विरचित किए एवं बिना साक्ष्य लिए तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 के आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालन किए बिना प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित नहीं कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा खारिज किया जाना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त कर प्रकरण में विवाद्यक विरचित कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए आदेश 20 नियम 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 31/2014 बआनवान सुरजाराम बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2015 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में विवाद्यक विरचित कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए आदेश 20 नियम 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि

Scanned with OKEN Scanner

के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **28.02.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner